राज्य परियोजना कार्यालय
राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन,छत्तीसगढ़

द्वितीय तल एकीकृत शिक्षा भवन, पेंशनबाड़ा, रायपुर

Email rmsacg@gmail.com

क्रमांक / 11 / RMSM / MS / 2018-19 रायपुर, दिनांक 27 / 08 / 2018

प्रति

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
छत्तीसगढ़

विषय:-- आरटीई कोटा के विद्यार्थियों का नामांकन केजी 01 से कक्षा 8वीं तक किया जाना।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) मे यह प्रावधान है कि प्रत्येक गैर अनुदान प्राप्त निजी शालाओं के द्वारा अपने विद्यालय में कक्षा पहली मे आसपास के कमजोर वर्ग तथा वंचित समूहों के बालकों को कक्षा पहली के कुल बालकों की सख्या का 25 प्रतिशत् संख्या में प्रवेश दिया जाना है।

2 छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कार्यालयीन पत्र क. एफ 13–5/2016/20–तीन, नया रायपुर दिनांक 14 मार्च 2016 द्वारा डीएव्ही कॉलेज मैनेजिंग कमिठी, चित्रगुप्त रोड पहाडगंज, नई दिल्ली से प्रदेश में संचालित मॉडल स्कूलों का पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के तहत् अनुबध किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए थे।

3 इसके संचालन हेतु राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग संचालन समिति गठित की गई है। दिनाक 06 दिसम्बर 2017 को राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बिन्दु क. 13 में यह निर्णय लिया गया है कि डीएव्ही द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों में केजी 01 से कक्षा 8वी तक यदि 25 प्रतिशत् आरटीई कोटा या 08 प्रतिशत् नि:शुल्क कोटा में सीट रिक्त रहता है तो डीएव्ही से लिखित में प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार रिक्त पड़े आरटीई कोटा या नि:शुल्क कोटा में विद्यार्थियों का जिला शिक्षा अधिकारी भर्ती की कार्यवाही करें।

संलग्न:–06 दिसम्बर 2017 का कार्यवाही विवरण

प्रबंध संचालक
राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ क्र / 1166 / RMSM / MS / 2018–19 रायपुर, दिनांक 27 / 08 / 2018

प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ।
4. श्री प्रशांत कुमार, सहायक क्षेत्रीय संचालक, डीएव्ही मैनेजिंग संस्था, हुडको भिलाई को सूचनार्थ।

28/8/18

प्रबंध संचालक
राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर